



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26529 वर्ष 2026

व्यास मुनि पाण्डेय

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री मनोज गौतम की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। यह मामला अपराध संख्या 144/2026, बी.एन.एस. की धारा 64(1) के तहत, पुलिस स्टेशन बांकाटा, जिला देवरिया में दर्ज है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के अवलोकन से पता चलता है कि पीड़िता लगभग 36 वर्ष की वयस्क विवाहित महिला है और चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 8 जून 2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक पर लगभग 36 वर्ष की पीड़िता के साथ बलात्कार का आरोप है। यह भी निवेदन किया जाता है कि पीड़िता लगभग 36 वर्ष की विवाहित वयस्क महिला है और चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि डॉक्टर ने यह राय दी है कि बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 8 जून 2026 से जेल में बंद है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता- **व्यास मुनि पाण्डेय** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, **जमानत देने की नीति रणनीति के मामले में, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के संबंध में, दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को इस आदेश की एक प्रति **जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

7 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरकेएम

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।